सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 231/2019 दायर दिनाँक 25.09.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सायरी पत्नि मदनलाल उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी मौलासर, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. हनुमानराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी डिकावा, तहसील डीडवाना। 2. सुरेश चन्द पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी क्यामसर, तहसील डीडवाना अध्यक्ष विवेकानन्द शिक्षा समिति मौलासर। 3. कन्हैयालाल पुत्र मूलचन्द जाति महाजन निवासी मौलासर तहसील डीडवाना। 4. जालाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढ़ीगाल, तहसील डीडवाना। 5. गीतादेवी पत्नि तुलछाराम जाति जाट निवासी जाखड़ो का बास तह0डीडवाना। 6. गीतादेवी पत्नि किस्तुराराम जाति जाट निवासी जाखड़ो का बास तह0डीडवाना। 7. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा वकील वादी

दिनाँक 05.01.2022

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 268 रकबा 9.07 बीघा व खसरा सं0 322 रकबा 12.08 बीघा वाकै सरहद चारणों का बास की खातेदारी व कब्जा काश्त पहले सीताराम, सुन्दरलाल पिसरान सुखदेव जांगिड़ के नाम से थी। जिन्होने आपस में दिनांक 25.01.2010 को बंटवारा कर लिया, जिसके अनुसार खेत खसरा सं0 268 रकबा 4.14 बीघा व खसरा सं0 322 रकबा 06.04 बीघा कुल रकबा 10.18 बीघा सीताराम के बंट व कब्जा काश्त में आया तथा खेत खसरा सं0 737/268 के नये खसरा सं0 28 रकबा 4.13 बीघा व खसरा सं0 738/322 के नये खसरा सं0 119 रकबा 6.04 बीघा कुल 10.17 बीघा सुन्दरलाल के बंट व कब्जा काश्त में आया। सीताराम ने अपने बंट व कब्जा काश्त की इस 10.18 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 03 कन्हैयालाल को विक्रय कर दी और प्रतिवादी सं0 03 की खातेदारी सीताराम की जगह राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गयी तथा सुन्दरलाल ने खेत खसरा सं0 737/268 रकबा 4.13 बीघा भूमि का विक्रय वादीनी को कर दिया तथा खसरा सं0 738/322 रकबा 06.04 बीघा में से 2/3 हिस्से का विक्रय प्रतिवादी सं0 01 राकेश कुमार को व 1/3 हिस्से का विक्रय प्रतिवादी सं0 02 गोपालराम [illegible] के नाम से सुन्दरलाल की जगह खातेदारी दर्ज हो गयी, वा[illegible] देवी ने अपने क्रय सुदा खेत खसरा सं0 737/268 [illegible] व 1.13 प्रतिवादी सं0 04 जालाराम को 01 बीघा [illegible] विक्रय कर दी तथा मौके बीघा प्रतिवादी सं0 06 गीता देवी पत्नि किस्तुराराम का [illegible] वादीनी की खातेदारी पर नाप चौक कर भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया [illegible] की 01 बीघा भूमि स्वयं के पास शेष रही है नकल जमाबन्दी वाद के साथ पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:09:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

यह है कि मौलासर से झाड़ौद बहने वाली सड़क से उत्तर में खेत खसरा सं0 737/268 के नये खसरा सं0 28 रकबा 4.13 बीघा व सड़क से दक्षिण में खसरा सं0 738/322 के नये खसरा सं0 119 रकबा 6.04 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। लेकिन सड़क निकलने से पूर्व दोनो खेत एक ही थे, लेकिन दो हिस्से हो जाने पर मौके पर सड़क से दक्षिणी भाग खसरा सं0 738/268 के नये नम्बर 28 रकबा 4.13 बीघा की बजाय मौके पर 3.13 बीघा ही है तथा सड़क से दक्षिणी भाग खसरा सं0 738/322 के नये खसरा सं0 119 रकबा 6.04 बीघा की बजाय 7.04 बीघा मौके पर है अर्थात एक बीघा भूमि खसरा सं0 737/268 में से कम होकर खसरा सं0 738/322 में 01 बीघा ज्यादा दर्ज हो गयी, अर्थात वादीनी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा सं0 737/268 के नये खसरा सं0 28 में से 01 बीघा वादीनी की शेष है, इस एक बीघा भूमि की खातेदारी वर्तमान खसरा सं0 28 की बजाय वर्तमान नये खसरा सं0 119 में दर्ज कर वादीनी के नाम से घोषणा की जानी जायज है क्योंकि पुराने खसरा सं0 737/268 के वर्तमान खसरा सं0 28 की कुल भूमि 4.13 की बजाय मौके पर 3.13 बीघा ही है। और यह 3.13 बीघा भूमि वादीनी द्वारा प्रतिवादी सं0 04 ता 06 को जरिये रजिस्ट्री विक्रय कर देने पर वर्तमान में प्रतिवादी सं0 04 ता 06 के कब्जा काश्त में है। जबकि पुराने खसरा सं0 738/322 के नये वर्तमान खसरा सं0 की कुल भूमि प्रतिवादी सं0 01 व 02 के कब्जे काश्त में है लेकिन एक बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 01 व 02 व प्रतिवादी सं0 03 के बीच मौके पर स्थित है। इस एक बीघा भूमि के चारो और पट्टीयां रोपकर तारबंदी की हुयी है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से यह गलत अंकन हुआ है, जिसकी दुरूस्ती करवाकर वादीनी अपने नाम से वर्तमान खसरा सं0 28 में से अपने द्वारा खरीद सुदा व कब्जा सुदा एक बीघा भूमि का अंकन वर्तमान खसरा सं0 119 में करवाने की कानूनन हकदार है। तथा वर्तमान खेत खसरा संख्या 28 रकबा 0.7500 हेक्टर में से 0.16 हैक्टर भूमि प्रतिवादी जालाराम को विक्रय कर देने से खसरा संख्या 28/176 दर्ज हुये, तथा प्रतिवादीनी गिता देवी को 0.16 हैक्टर विक्रय कर देने से खसरा संख्या 28/177 दर्ज हुये, तथा खसरा संख्या 28 की शेष रही भूमि रकबा 0.43 हैक्टर में से 1.13 बीघा प्रतिवादीनी गिता पत्नि किस्तुरराम को विक्रय कर दी तथा शेष 0.1460 हैक्टर भूमि वादीनी शायरी के नाम से खातेदारी में रह गयी, लेकिन मौके पर 0.43 हैक्टर की बजाय 0.284 हैक्टर ही है, इसी तरह खसरा संख्या 119 रकबा 1.00 हैक्टर को प्रतिवादीगण को विक्रय कर देने से व राजकीय हित में समर्पित भूमि कर देने आदि से इनके नये खसरा संख्या 183/119 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा संख्या 119/178 रकबा 0.0324 हैक्टर, खसरा संख्या 178/119 रकबा 0.0700 हैक्टर खसरा संख्या 119/175 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा संख्या 184/119 रकबा 0.0800 हैक्टर दर्ज हो गया, लेकिन मौके पर एक हैक्टर अर्थात 6.04 बीघा की बजाय 7.4 बीघा है, उक्त सम्पूर्ण भूमि पहले एक ही थी, लेकिन सड़क निकलने के बाद सड़क से उत्तर में ज्यादा भूमि व दक्षिण में कम भूमि सहव से दर्ज हो गयी, इसकी दुरूस्ती की जानी न्यायोचित है। अतः वादीनी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीनी निम्न प्रकार है :-

यह घोषणा की जावे कि [illegible] वाली सड़क के उत्तर की और स्थित खसरा संख्या 28 रकबा [illegible] हैक्टर [illegible] चारणो का बास स्थित भूमि में से वादीनी सायरी [illegible] ही 0.1460 हैक्टर भूमि कम की जाकर सड़क [illegible] और स्थित खेत खसरा संख्या 119 में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे। तथा खसरा संख्या 28 में से कम किये गये रकबा 0.1460 हैक्टर को खसरा [illegible] 119 का रकबा बढ़ाया जाकर नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार किया जाकर वादीनी की खातेदारी दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:09:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

करने का आदेश प्रदान करावें। तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा किये गये गलत अंकन की उपरौक्तानुसार व नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार दुरूस्ती की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया।बावजूद तामिल अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 962 दिनांक 27.12.2021 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शमिल मिसल है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 962 दिनांक 27.12.2021 के द्वारा रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 28 में से वादीनी का नाम हटाया जाकर खसरा सं0 119 में जोड़कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार वाकै सरहद चारणो का बास के खसरा सं0 28 रकबा 0.43 हैक्टर में से वादीनी की खातेदारी की 0.1460 हैक्टर भूमि खसरा संख्या 28 में से कम की जाकर कम किये गये रकबा 0.1460 हैक्टर को खसरा संख्या 119 में दर्ज कर खसरा संख्या 119 का रकबा बढ़ाया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादीनी को खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। नजरी नक्शा व भु–अभिलेख निरिक्षक मौलासर व तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **05.01.2022** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर (कलक्टर)
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:09:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्‌दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 231/2019 दायर दिनाँक 25.09.2019

वादी		प्रतिवादीगण
1. सायरी पत्नि मदनलाल उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासी मौलासर, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. हनुमानराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी डिकावा, तहसील डीडवाना। 2. सुरेश चन्द पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी क्यामसर, तहसील डीडवाना अध्यक्ष विवेकानन्द शिक्षा समिति मौलासर। 3. कन्हैयालाल पुत्र मूलचन्द जाति महाजन निवासी मौलासर तहसील डीडवाना। 4. जालाराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी ढ़ीगाल, तहसील डीडवाना। 5. गीतादेवी पत्नि तुलछाराम जाति जाट निवासी जाखड़ो का बास तह0डीडवाना। 6. गीतादेवी पत्नि किस्तुराराम जाति जाट निवासी जाखड़ो का बास तह0डीडवाना। 7. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक 05.01.2022

यह मुकद्‌दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्‌दई श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा वकील वादी की ओर से मद्‌दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार वाकै सरहद चारणो का बास के खसरा सं0 28 रकबा 0.43 हैक्टर में से वादीनी की खातेदारी की 0.1460 हैक्टर भूमि खसरा संख्या 28 में से कम की जाकर कम किये गये रकबा 0.1460 हैक्टर को खसरा संख्या 119 में दर्ज कर खसरा संख्या 119 का रकबा बढ़ाया जाकर राजस्व रेकर्ड में वादीनी को खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। नजरी नक्शा व भु–अभिलेख निरिक्षक मौलासर व तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत....................–...........
.......खर्चा इस मुकद्‌दमें के मय सूद व शरह.......–....... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 05.01.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:09:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner